



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072026-274588
CG-DL-E-17072026-274588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3770]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948

No. 3770]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

सं. 90/2026-सीबीडीटी

का.आ. 3934(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(बी) के अनुसरण में एतद्वारा विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान की श्रेणी के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ (पैन: AAAAI9526L) को 2025 के उक्त अधिनियम की धारा 45(3)(ए)(i) और आयकर नियमावली 2026 के नियम 32 और 34 के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ पर कर वर्ष 2026-2027 से 2030-2031 के लिए लागू होगी, इन शर्तों के अधीन होंगे जो कि निम्नलिखित हैं:-

(i) आयकर नियम, 2026 के नियम 34 में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा;

- (ii) फॉर्म नंबर 15 में प्रत्येक कर वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45 (4) (ए) के तहत विवरणी तैयार करना और आयकर महानिदेशक (सिस्टम) या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को 31 मई को या उससे पहले वितरित करना या वितरित करना, उस कर वर्ष के तुरंत बाद जिसमें आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार दान प्राप्त हुआ है:
- (iii) दाता को आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार दान की राशि निर्दिष्ट करने वाले प्रपत्र संख्या 16 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

[फा. सं. 203/23/2025/आईटीए-II]

इंदु बाला, उप सचिव